वेब परिचालन

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
Employees' Provident Fund Organisation
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)
मुख्य कार्यालय/Head Office
भविष्य निधि भवन, 14, भीकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi-110066
वैबसाईट/Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

संख्या :हि.अ./संगठन/4-समीक्षा फील्ड/2016 / 161 दिनांक: 10 APR 2017

सेवा में,

सभी अपर केन्द्रीय भ.नि. आयुक्त (अंचल),/ निदेशक, पी.डी.यू.एन.ए.एस.एस.
सभी क्षेत्रीय कार्यालय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी क्षे.भ.नि.आ.
उप-निदेशक (रा.भा.), पूर्वी अंचल, पश्चिमी अंचल एवं दक्षिणी अंचल

विषय: पावतियां ई-मेल के माध्यम से भेजने के संबंध में।
संदर्भ: संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय का संदर्भ लें। राजभाषा नियम 1976 के उपनियम 05 के अंतर्गत यह अनिवार्य है कि हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए जाएं। समय-समय पर संसदीय राजभाषा समिति ने अपने निरीक्षणों के दौरान यह स्पष्ट किया है कि हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिन्दी में भेजें जाएं तथा जिन पत्रों का उत्तर दिया जाना अपेक्षित नहीं हैं, उनकी पावतियां हिन्दी में भेजी जाएं।

2. उपर्युक्त निर्णय के अनुपालन में मुख्यालय के राजभाषा अनुभाग में ऐसे बहुत से पत्रों की पावतियां अनुलग्नक के साथ प्राप्त हो रही हैं, जिन पर मुख्यालय द्वारा कोई कारवाई नहीं की जानी है।

3. अत: यह निर्णय लिया गया है कि सभी पावतियां केवल **ई-मेल** द्वारा भेजी जाएं तथा उनकी गणना हिन्दी पत्राचार में की जाए। इससे संसदीय राजभाषा समिति के निदेशों का भी अनुपालन हो जाएगा तथा कागजों का दुरूपयोग और डाक आदि के खर्च में होने वाले सरकारी धन का भी अपव्यय नहीं होगा।

4. यह पुन: दोहराया जाता है कि हिन्दी अनुभाग से संबंधित सभी पावतियां **ई-मेल** द्वारा dir.ol.@epfindia.gov.in पर भेजी जाएं। **इन्हें भौतिक रूप से मुख्यालय न भेजा जाए।**

भवदीय,

(के.एल. गोयल)
अपर केन्द्रीय भ.नि. आयुक्त (प्रभारी राजभाषा)